आदेश की क्र0 एवं तिथि 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही 3
22.03.22		

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, साहेबगंज का न्यायालय।

आर0एम0आर0 वाद संख्या–02/2016–17

अशोक कुमार घोष –बनाम– मुकेश कुमार साहा वगै0

आवेदकः– अशोक कुमार घोष, पिता–स्व0 लालु घोष, सा0–मंडई, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज।

विपक्षीः– 1. मुकेश कुमार साहा, पे0–स्व0 देवेन्द्र लाल साहा, सा0–गुदाराघाट, राजमहल, जिला–साहेबगंज।
2. मीना देवी, पति–सुबोल मंडल, सा0–हरिचन्द्रपुर,
3. बीना देवी, पति–विकास मंडल, सा0–छोटा हरिचन्द्रपुर,
4. सरिता देवी, पति–गोपाल मंडल, सा0–मधुसुधन कलॉनी, राजमहल, वर्तमान–मंडई,
5. सुशीला देवी, पति–स्व0 विनोद मंडल, सा0–रायबाजार, सभी थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद आवेदक अशोक कुमार घोष, पे0–स्व0 लालु घोष, सा0–मंडई, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के नामांतरण अपील वाद सं0 05/2014–15 (अशोक कुमार घोष –बनाम– मुकेश कुमार साहा वगै0) में दिनांक 05.05.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध रिभिजन वाद दायर किया गया है। अवलोकनोपरान्त वाद को अंगीकृत करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत की गई एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल से मूल अभिलेख नामांतरण अपील वाद सं0 05/2014–15 की माँग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उभय पक्ष उपस्थित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के पत्रांक 86/भू0सु0, दिनांक 16.03.2016 द्वारा मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मौजा–गुनिहारी, जमाबंदी नं0–321/5, दाग नं0–461 का रकवा 00–06–05 धूर निबंधित केवाला सं0 25/14 दिनांक 12.02.2014 एवं निबंधित केवाला सं0 26/14 दिनांक 12.02.2014 से रकवा 00–03–05 धूर कुल रकवा 00–10–00 जमीन पंजी–II रैयत बन्धु मंडल एवं विनोद मंडल से खरीद कर दखलकार है, जिसमें आवेदक एवं विपक्षी सं0 02 से 06 तक का भी मकान बना हुआ है।

आगे उन्होंने यह भी अपने तर्क में कहा कि प्रश्नगत भूमि पंजी–II में विनोद मंडल, पिता–बन्धु मंडल के नाम से दाग नं0–461 रकवा 18 कट्ठा 15 धूर एवं बन्धु मंडल, पिता–बोढ़न मंडल के नाम से दाग नं0–462 रकवा 02–04–03 धूर भूमि है। इसके पूर्व खतियान में बानु साह एवं बैजनाथ साह, पिता–गजु साह के नाम से दर्ज था। उक्त भूमि को बन्धु मंडल, पिता–बोढ़न मंडल ने अनिबंधित केवाला दिनांक

आदेश की क्रमांक एवं तिथि

10.11.1956 एवं 05.07.1956 के द्वारा खतियानी रैयत बानु साह व बैजनाथ साह,पिता–गजु साह से 99.00 (निनानवे) रूपये में खरीद कर दखलकार थे। जमीन का मूल्य 100.00 (एक सौ) रूपये से कम है, जिसे निबंधन करवाना अनिवार्य नहीं है। उक्त भूमि को बन्धु मंडल ने वर्ष 1974–75 में अपने नाम से नामांतरण कराये। पुनः उक्त भूमि को अशोक घोष, पिता–स्व0 लालु घोष निबंधित केवाला सं0 25/14 दिनांक 12.02.2014 से जमाबंदी नं0–321/05 दाग नं0–461 रकवा 00–06–05 धूर एवं केवाला सं0 26/14 दिनांक 12.02.2014 द्वारा दाग नं0–462 रकवा 00–03–15 धूर कुल रकवा 00–10–00 धूर है, जिसमें अपीलार्थी एवं विपक्षी सं0–02 एवं अन्य का आवासीय मकान है, जिसमें सपरिवार निवास कर रहे है।

आगे आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के दखल कब्जा में प्रश्नगत भूमि रहने एवं निबंधित दस्तावेज के बावजूद भी अंचल अधिकारी, राजमहल ने नामांतरण की प्रक्रिया नहीं किये और ना ही भूमि सुधार, उपसमाहर्त्ता, राजमहल द्वारा बिना किसी तथ्यों को परखे अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत कर देना सरासर नियम के विरूद्ध है। किसी भी भूमि का नामांतरण सही दस्तावेज एवं दखल कब्जा के आधार पर होती है। विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल को दखल कब्जा है या नहीं इस संबंध में किसी सक्षम पदाधिकारी से प्रश्नगत भूमि को जाँच करा लेना चाहिए। तत्पश्चात आवेदन को अस्वीकृत करना चाहिए। परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

आगे आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा कि प्रश्नगत भूमि में विपक्षी मुकेश कुमार साह का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि खतियानी रैयत बानु साह अपने जीवित काल में ही बन्धु मंडल, पे0–बोढ़न मंडल को अनिबंधित केवाला द्वारा 1956 में दखल कब्जा दे दिया था। वर्तमान में भी कुछ भूमि बन्धु मंडल के वारिशान द्वारा बिक्री किये है कुछ में मकान बनाकर निवास कर रहे है। विपक्षी का कहना है कि बानु साह की मृत्यु 1940 में प्लैग बीमारी से हो गई थी। किस प्रकार 1956 में अनिबंधित केवाला बानु साह द्वारा की गई। मृत्यु संबंधी विपक्षी मुकेश कुमार साह द्वारा कोई प्रमाण यथा मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया, सिर्फ मौखिक कथन है, जिसे किस आधार पर माना जा सकता है।

आगे यह भी तर्क है कि निम्न न्यायालय द्वारा निबंधित दस्तावेज को जाली दस्तावेज की संज्ञा दिया जा रहा है, जिसमें प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित है। दस्तावेज जाली है या सही है उसे देखने का अधिकार निम्न न्यायालय को नहीं है। यह सिर्फ सिविल कोर्ट को है। प्रश्नगत भूमि में आवेदक का दखल कब्जा है एवं सपरिवार मकान बनाकर निवास कर रहे है।

आगे उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को अपास्त (Set aside) करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:–

1. मकान का फोटो कॉपी
2. अंचल अधिकारी, राजमहल का आदेश।
3. अंचल अधिकारी, राजमहल का आदेश की प्रति।
4. आवेदक का मूल दस्तावेज की प्रति।

जवाब में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–गुनिहारी, जमाबंदी नं0–321/5 दाग नं0–461 रकवा 00–06–05 धूर एवं दाग नं0–462 रकवा 00–03–15 धूर कुल रकवा 00–10–00 धूर भूमि गजु के नाम से खतियान में दर्ज है। प्रशनगत भूमि विपक्षी अथवा उनके वंशज द्वारा बिक्री नहीं की गई है। आवेदक अथवा अन्य विपक्षी 02 एवं अन्य द्वारा दाखिल अनिबंधित केवाला जाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही

है। उक्त केवाला झैटन सरकार दस्तावेज लेखक के जाली हस्ताक्षर से बनाया गया है।

विपक्षी मुकेश कुमार साह के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया कि खतियानी रैयत गजु साह की मृत्यु 1940 में प्लैग बीमारी से हो गई थी फिर किस प्रकार अनिबंधित केवाला 1956 में झैटन सरकार के जाली दस्तावेज से बनाया गया। इस प्रकार विपक्षी सं0–02 से 6 तक के वंशज द्वारा अनिबंधित केवाला के माध्यम से खरीदा गया केवाला सही है ही नहीं तो बन्धु मंडल एवं उनके पुत्र विनोद मंडल किस प्रकार आवेदक के नाम से निबंधित केवाला बनवाया। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि प्रश्नगत मौजा गुनिहारी जामाबंदी नं0–321/5, दाग नं0–461 रकवा 00–06–05 धूर एवं दाग नं0–462 रकवा 00–03–15 धूर भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

उन्होंने आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0 05/2014–15 में दिनांक 05.09.2016 को पारित आदेश को यथावत (Upheld) रखने का अनुरोध किया गया है।

अतएव उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–गुनिहारी, थाना नं0–56, जमाबंदी नं0–321/5, दाग नं0–461 रकवा 00–06–05 धूर निबंधित केवाला सं0 25/14 दिनांक 12.02.2014 एवं दाग नं0–462 रकवा 00–03–15 धूर निबंधित केवाला सं0 26/14 दिनांक 12.02.2014 कुल रकवा 00–10–00 धूर बन्धु मंडल, पिता–बोढ़न मंडल एवं विनोद मंडल वगै0 पिता–बन्धु मंडल खरीदकर दखलकार है। वर्तमान में आवेदक को प्रश्नगत भूमि में मकान बना हुआ है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर आवेदक के दखल कब्जा है। दखल कब्जा के आधार पर अंचल अधिकारी, राजमहल को नामांतरण की कार्रवाई नहीं किया जाना, न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

विपक्षी मुकेश कुमार साह का दावा है कि प्रश्नगत भूमि इसके वंशज का है, जिसे कभी इसके पूर्वज द्वारा बेचा नहीं गया था, क्योंकि अनिबंधित केवाला 1956 की है जबकि विक्रेता गजु साह की मृत्यु 1940 प्लैग बीमारी से मर गई। इसका कोई दस्तावेज सबुत विपक्षी सं0–1 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। मौखिक आधार पर बताया जा रहा है, जो मान्य नहीं है। इसके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि प्रश्नगत भूमि मौजा–गुनिहारी, जमाबंदी नं0–321/5, दाग नं0–461 एवं 462 दोनों का रकवा 00–10–00 धूर भूमि पर आवेदक के दखल कब्जा है।

यह भी स्पष्ट है कि नामांतरण की कार्यवाही भूमि दस्तावेज एवं दखल कब्जा के आधार पर होता है, जो अंचल अधिकारी, राजमहल द्वारा नहीं किया गया और ना ही भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के आदेश का गहन अध्ययन किया गया। आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त आवेदक के आवेदन को स्वीकृत करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल नामांतरण अपील वाद सं0 05/2014–15 दिनांक 05.05.2016 को पारित आदेश को अपास्त (Set aside) किया जाता है। अंचल अधिकारी, राजमहल को आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर नियमानुसार दखल कब्जा के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही करें। भूमि की निबंधित केवाला के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही करें। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	2
	राजमहल एवं अंचल अधिकारी, राजमहल को भेजें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 22/3/22 उपायुक्त, साहेबगंज। 22/3/22 उपायुक्त, साहेबगंज।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.08.25 12:18:31 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner